

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

उप-महाप्रबंधक,  
इलाहाबाद बैंक  
मंडलीय कार्यालय, पटना

पटना, दिनांक.....

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के SEP घटक के तहत सूद अनुदान पोर्टल के माध्यम से मुहैया कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक- 333 दिनांक- 07.09. 2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के SEP घटक के अन्तर्गत सूद अनुदान मुहैया कराने हेतु Mother खाता सं0 050403046707 खोला गया था तथा विभागीय पत्रांक-333 दिनांक- 7.9.2017 के द्वारा एक करोड़ रुपये जमा किया गया है, लेकिन आठ माह व्यतीत होने के बावजूद आज तक न तो पोर्टल ठीक ढंग से व्यवस्थित हो पाया है और न खाता का संचालन शुरू हो पाया है। सारांशतः 8 माह व्यतीत होने के बाद भी सरकार की उक्त रकम Idle पड़ी हुई है और लामार्थी सूद अनुदान के लाभ से बंचित रह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार के पोर्टल मॉडेल के तर्ज पर ही केन्द्र स्तर पर पोर्टल विकसित किया गया है तथा केन्द्र स्तर पर पोर्टल लाउचिंग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हो गया है। बिहार में पोर्टल का लाउचिंग दिनांक- 20.3.2018 को मा0 मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के कर कमलों के द्वारा किया गया था, परन्तु खाता का संचालन आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे लामार्थियों को सूद अनुदान की राशि न मिलने के कारण SEP घटक के प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है।

अतः अनुरोध है कि सूद अनुदान हेतु विकसित पोर्टल का संचालन अविलम्ब शुरू किया जाय, ताकि शहरी गरीबों को सरकार के कार्यक्रम का लाभ मिल सकें। यदि पोर्टल का संचालन शीघ्र शुरू नहीं किया जाता है, तो विभाग सभी निकायों को पारंपरिक ढंग से सूद अनुदान वितरण करने हेतु निर्देश दिये जाने पर विचार करते हुए आपके बैंक में खोले गये Mother Account को बन्द करने हेतु निदेश दे सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :- 04/NULM-05/16/

1251

पटना, दिनांक 23/5/18

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव (UPA) Ministry of Housing & Urban Affairs, R.No 114-C ,Nirman Bhawan, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जेनरल मैनेजर, प्रशासन इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक पटना मुख्य शाखा के अवलोकनार्थ तथा अनुमतिार्थ प्रेषित।
5. संयोजक, SLBC बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/18  
प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।